पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ रामगढ़ शेखावाटी ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 30/1/18 को पेश हो

30/01/18 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ रामगढ़ शेखावाटी ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 06/2/18 को पेश हो

6/2/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। तहसीलदार रामगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी की बाबत प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 L.R Act बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 0.04 है, 138 रकबा 2.30 है वाके ग्राम देवास तहसील रामगढ़ में प्रार्थीगण के पिता का नाम ताजूशाह दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम जाफर है अतः विवादित आराजी में ताजूशाह के स्थान पर ताजूशाह उर्फ जाफर दर्ज करने की कृपा करें। पत्रावली का व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में भी ताजूशाह व जाफर एक ही शख्स के नाम होने का अंकन किया गया। प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	आ... हुक्म जारी
	पिता व पति का नाम जाकर दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत देवास ने कथन किया है कि तापूशाह व जाकर एक ही व्यक्ति के नाम है अर्थात जाकर को ही तापूशाह के नाम से जाना जाता था। इसलिए प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार रामगढ़ की अभिशंषा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 126 रकबा 0.04 है. तथा खसरा नम्बर 138 रकबा 2.30 है. वाके ग्राम देवास तहसील रामगढ़ में प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम तापूशाह के स्थान पर तापूशाह उर्फ जाकर दर्ज करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (रेणु मीणा) उपखण्ड अधिकारी	